# न्यायालयः—न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंता, जिला बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सिद्धान्त शर्मा, आर.जे.एस.

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या : 87/2018

सी.आई.एस. नंबर : 87/2018

सी.एन.आर. नंबर : RJBR110002802018

निर्णय दिनांक : 09.04.2026

अपराध अर्न्तगत धारा 341, 323 सपठित धारा 34, 324 सपठित धारा 34, 336 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता

## PART-I
## (A)

| | |
|---|---|
| परिवादी | राजस्थान राज्य सरकार |
| प्रतिनिधित्व द्वारा | विद्वान अभियोजन अधिकारी, राजस्थान राज्य सरकार की ओर से उपस्थित। |
| अभियुक्तगण भाया की बाड़ी, | 1. शकील मोहम्मद पुत्र अल्लानुर, आयु 46 वर्ष, निवासी मौजा भाया की बाड़ी, अंता, तहसील अंता, पुलिस थाना अंता, जिला बारां राज.<br>2. रूबीना बानो पत्नी शकील मोहम्मद, आयु 43 वर्ष, निवासी मौजा भाया की बाड़ी, अंता, तहसील अंता, पुलिस थाना अंता, जिला बारां राज.<br>3. मोहम्मद शाहिद पुत्र सिराज मोहम्मद, आयु 27 वर्ष, निवासी मौजा दुगारी रोड, अंता, तहसील अंता, पुलिस थाना अंता, जिला बारां राज.<br>.................. अभियुक्तगण |
| प्रतिनिधित्व द्वारा | 1. विद्वान अधिवक्ता श्री जाकिर हुसैन अंसारी, अभियुक्त क्रम 1. लगायत 3. की ओर से उपस्थित। |

## (B)

| | |
|---|---|
| अपराध की दिनांक | 13.02.2018 |
| एफ.आई.आर. की दिनांक | 14.02.2018 |
| आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने की दिनांक | 24.03.2018 |
| आरोप पृथक् से विरचित किये जाने की दिनांक | अभियुक्तगण शकील मोहम्मद, रूबीना एवं मोहम्मद शाहिद दिनांक 25.05.2018 |
| सुनवायी की दिनांक | 27.09.2018 |
| निर्णय के लिये निर्धारित दिनांक | 09.04.2026 |
| निर्णय सुनाये जाने की दिनांक | 09.04.2026 |
| दंडादेश, यदि हो तो — | — |

## (C)
## अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरण

| क्रम संख्या | अभियुक्त गण का नाम | प्रथम गिरफ्तारी दिनांक | प्रथम बार जमानत पर बाहर आने की दिनांक | आरोपित अपराध | दोषसिद्ध या दोषमुक्त | दंडादेश या परिवीक्षा अधिनियम के संबंध में पारित आदेश का विवरण | अभिरक्षा में बितायी अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | शकील मोहम्मद | — | — | 341, 323 सपठित धारा 34, 324 सपठित धारा 34, 336 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता | दोषसिद्ध | निर्णय की मद संख्या 33. एवं 37. में वर्णित | — |
| 2. | रूबीना बानो | — | — | | दोषसिद्ध | | — |
| 3. | मोहम्मद शाहिद | — | — | | दोषसिद्ध | | — |

## PART-II
## साक्षियों की सूची :— अभियोजन साक्षी/बचाव साक्षी/न्यायालय साक्षी

### (A) अभियोजन साक्षी —

| क्रम संख्या | साक्षी का नाम | साक्षी की प्रकृति |
|---|---|---|
| 1. | अब्दुल सलीम | तहरीरी रिपोर्ट पेश करने का, बयान धारा 161 सीआर.पी.सी. का, ताईद प्रथम सूचना रिपोर्ट का एवं तस्दीकशुदा नक्शा मौका घटनास्थल का गवाह |
| 2. | सुबराती बाई | ताईद चश्मदीद वाका, स्वयं के साथ घटना घटित होने का एवं तस्दीकशुदा नक्शा मौका घटनास्थल का गवाह |
| 3. | रूकसार बानो | ताईद चश्मदीद वाका एवं स्वयं के साथ घटना घटित होने का एवं तस्दीकशुदा नक्शा मौका घटनास्थल का गवाह |
| 4. | मुरलीधर | हालात तफ्तीश एवं अनुसंधान का गवाह |
| 5. | डॉ. हरीश मीणा | आहतगण की एम.एल.सी. रिपोर्ट ताईद का गवाह |
| 6. | युसुफ भाई | ताईद चश्मदीद वाका का गवाह |
| 7. | रोजी बानो | ताईद चश्मदीद वाका एवं स्वयं के साथ घटना घटित होने का गवाह |

### (B) बचाव साक्षी —

| RANK | NAME | साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS) |
|---|---|---|
| - | - | - |

**(C) न्यायालय साक्षी –**

| RANK | NAME | साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS) |
|---|---|---|
| - | - | - |

**प्रदर्शित दस्तावेजात की सूची : अभियोजन प्रदर्श/बचाव प्रदर्श/न्यायालय प्रदर्श**

**(A) अभियोजन प्रदर्श –**

| कम संख्या | प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित | वर्णन |
|---|---|---|
| 01. | प्रदर्श पी. 1 | तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी0 1 |
| 02. | प्रदर्श पी. 2 | चाक एफ0आई0आर0 प्रदर्श पी0 2 |
| 03. | प्रदर्श पी. 3 | फर्द नक्शा मौका एवं निरीक्षण घटनास्थल प्रदर्श पी0 3 |
| 04. | प्रदर्श पी. 4 | आहता सुबराती बानो का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी0 4 |
| 05. | प्रदर्श पी. 5 | आहता रूकसार बानो का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी0 5 |
| 06. | प्रदर्श पी. 6 | पुलिस बयान युसुफ भाई प्रदर्श पी0 6 |

**(B) बचाव प्रदर्श –**

| कम संख्या | प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित | वर्णन |
|---|---|---|
| 01. | – | – |

**(C) न्यायालय प्रदर्श –**

| कम संख्या | प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित | वर्णन |
|---|---|---|
| – निल – | | |

**(D) सारवान वस्तु एवं मालखाना –**

| कम संख्या | सारवान वस्तु एवं मालखाना का कमांक | वर्णन | मालखाना रजिस्टर कमांक एवं वर्णन |
|---|---|---|---|
| – निल – | | | |

**:: निर्णय ::**

**दिनांक:–09.04.2026**

1. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि 'फरियादी अब्दुल सलीम पुत्र अब्दुल सत्तार, निवासी मौजा भाया की बाड़ी, अंता ने उपस्थित पुलिस थाना अंता होकर एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 13.

02.2018 को दिन में दो बजे के आस पास, उसकी माँ सुबराती बानो और पड़ोसी रुबीना बानो के बीच, बच्चे खेल रहे थे, उस बात को लेकर कहा सुनी हुई थी। उसके बाद शकील अहमद पुत्र अलानूर, शाम को 08:30 बजे घर पर आया, उसने अब्दुल सलीम से कहा कि तेरे घर वालों और बच्चों को समझा दें कि बच्चों की बात को लेकर झगड़ा ना करें, तब उसकी मां घर के बाहर चबूतरी पर बैठी हुई थी, तब शकील उर्फ अलानुर और मोहम्मद शाजिद पुत्र सिराज मोहम्मद एवं रुबीना बानो, तीनों ने पत्थर ईंट उठाये एवं फेंककर मारी, जिससे उसकी माँ के सिर पर एवं बायें हाथ पर तथा रोजी बानो के कमर में लगने से, उसकी माँ के ललाट पर खून निकल आया। यह घटना उनके अलावा, युसुफ भाई ने देखी है। इन लोगों ने, उनको जाते समय घेर कर रोक लिया था। कार्यवाही की जावें।' इत्यादि

2. उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर, पुलिस थाना अंता, जिला बारां द्वारा मुकदमा नंबर 47/2018, अंतर्गत धारा 341, 323, 336, 34 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद अनुसंधान, पुलिस थाना अंता द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 341, 323, 324, 336, 34 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर, न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया, जिस पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 341, 323, 324, 336 सपठित धारा भारतीय दण्ड संहिता में प्रसंज्ञान लिया जाकर, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. तत्पश्चात् बहस आरोप सुनी जाकर, अभियुक्तगण को अंतर्गत धारा 341, 323 सपठित धारा 34, 324 सपठित धारा 34, 336 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाया एवं समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोपों को सुन समझकर, आरोपों से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से, साक्ष्य अभियोजन में, गवाहान पीडब्ल्यू–1 अब्दुल सलीम, पीडब्ल्यू–2 सुबराती बानो, पीडब्ल्यू–3 रूकसार बानो, पीडब्ल्यू–4 मुरलीधर, पीडब्ल्यू–5 डॉ. हरीश मीणा, पीडब्ल्यू–6 युसुफ भाई, पीडब्ल्यू–7 रोजी बानो को न्यायालय समक्ष पेश कर परीक्षित कराया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में, लिखित तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी0 1, चाक एफ0आई0आर0 प्रदर्श पी0 2, फर्द नक्शा मौका एवं निरीक्षण घटनास्थल प्रदर्श पी0 3, आहता सुबराती बानो का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी0 4, आहता रूकसार बानो का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी0 5, पुलिस बयान युसुफ भाई प्रदर्श पी0 6 को प्रदर्शित कराया गया।

5. तत्पश्चात् अभियुक्तगण के धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान लेखबद्ध किये गये। अभियुक्तगण ने अभियोजन के गवाहान के बयानों को गलत होना एवं झूठा फॅसाया जाने का कथन किया है। अभियुक्तगण ने साक्ष्य सफाई पेश करना जाहिर नहीं किया, तत्पश्चात् साक्ष्य सफाई समाप्त की गयी।

6. बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

7. प्रकरण के निस्तारण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न प्रकार है :–

**1. क्या अभियुक्तगण शकील मोहम्मद, रूबीना बानो एवं मोहम्मद शाहिद द्वारा दिनांक 13.02.2018 को समय शाम के 08:30 बजे या उसके लगभग, स्थान भाया की बाड़ी, अंता में स्वैच्छयापूर्वक परिवादी अब्दुल सलीम एवं उसकी मां सुबराती बानो एवं रुकसार बानो को उनकी इच्छित दिशा में जाने से रोककर, मार्ग अवरूद्ध कर, उन्हें उस दिशा में जाने से निरूद्ध किया गया, जिस दिशा में जाने के वे अधिकारी थे। साथ ही क्या अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त वर्णित समय,**

**स्थान एवं दिनांक पर, अपने दीगर साथी के साथ सामान्य आशय की पूर्ति में एकराय होकर, स्वेच्छयापूर्वक परिवादी अब्दुल सलीम एवं उसकी मां सुबराती बानो एवं रूकसार बानो के साथ ईंट, पत्थरों से तथा धारदार हथियार से मारपीट कर, आहतगण सुबराती बानो एवं रूकसार बानो के शरीर पर, साधारण प्रकृति की उपहतियां कारित की गयी थी ? साथ ही क्या अभियुक्तगण द्वारा अन्य मुलजिम के साथ मिलकर, स्वैच्छया सामान्य आशय के अग्रसरण में, उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्ण रीति से आहतगण पर ईंट एवं पत्थर फेंककर, उनका वैयक्तिक क्षेम संकटापित किया गया था ? इस प्रकार अभियुक्तगण शकील मोहम्मद, रूबीना बानो एवं मोहम्मद शाहिद द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341, 323 सपठित धारा 34, 324 सपठित धारा 34, 336 सपठित धारा 34 के अधीन दण्डनीय अपराध किया गया ?**

**2. यदि हॉ, तो अभियुक्तगण के विरूद्ध उचित दण्ड क्या होगा ?**

8. उपरोक्त अवधार्य बिन्दु के संबंध में, दौराने बहस अभियोजन अधिकारी का यह कथन रहा हैं कि अभियोजन कहानी से अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पूर्णतया साबित है। गवाहान के कथनों में कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास नहीं है। सभी गवाहान ने अभियोजन कहानी की पुष्टि की है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित धारा में दोषसिद्ध घोषित किये जाने का निवेदन किया।

9. अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन अधिकारी के तर्कों का खण्डन करते हुये, इसके विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का मुख्यतः यह कथन रहा है कि प्रकरण वर्ष 2018 से लंबित है। अभियुक्तगण पिछले आठ वर्षों से अन्वीक्षा भुगत रहे है। परिवादी तथा परीक्षित अन्य गवाहान के द्वारा भी अभियोजन कहानी की लेशमात्र ताईद नहीं की गई है। परिवादी पक्ष द्वारा द्वेष में आकर उक्त प्रकरण झूठा दर्ज करवाया गया है। प्रकरण में घटना का कोई भी चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। प्रकरण में किसी भी गवाह ने मारपीट होते हुये नहीं देखी है। प्रकरण में हितबद्ध गवाहान न्यायालय समक्ष परीक्षित हुये है। किसी भी गवाह के बयान से अपराध प्रमाणित नहीं है। प्रकरण में अभियोजन अपनी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध को युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जावें।

10. बहस अन्तिम सुनी गई। निर्णयार्थ पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त अवधार्य बिन्दु के संबंध में विवेचन निम्न प्रकार है :–

11. संपूर्ण अभियोजन वृतांत के अनुसार, अभियुक्तगण शकील मोहम्मद, रूबीना बानो एवं मोहम्मद शाहिद द्वारा दिनांक 13.02.2018 को समय शाम के 08:30 बजे या उसके लगभग, स्थान भाया की बाड़ी, अंता में स्वैच्छयापूर्वक परिवादी अब्दुल सलीम एवं उसकी मां सुबराती बानो एवं रुकसार बानो को उनकी इच्छित दिशा में जाने से रोककर, मार्ग अवरूद्ध कर, उन्हें उस दिशा में जाने से निरूद्ध किया गया, जिस दिशा में जाने के वे अधिकारी थे। साथ ही अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त वर्णित समय, स्थान एवं दिनांक पर, अपने दीगर साथी के साथ सामान्य आशय की पूर्ति में एकराय होकर, स्वेच्छयापूर्वक परिवादी अब्दुल सलीम एवं उसकी मां सुबराती बानो एवं रूकसार बानो के साथ ईंट, पत्थरों से तथा धारदार हथियार से मारपीट कर, आहतगण सुबराती बानो एवं रूकसार बानो के शरीर पर, साधारण प्रकृति की उपहतियां कारित की गयी थी। साथ ही अभियुक्तगण द्वारा अन्य मुलजिम के साथ मिलकर, स्वैच्छया

सामान्य आशय के अग्रसरण में, उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्ण रीति से आहतगण पर ईंट एवं पत्थर फेंककर, उनका वैयक्तिक क्षेम संकटापित किया गया था। इस प्रकार अभियुक्तगण शकील मोहम्मद, रूबीना बानो एवं मोहम्मद शाहिद द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341, 323 सपठित धारा 34, 324 सपठित धारा 34, 336 सपठित धारा 34 के अधीन दण्डनीय अपराध किया गया।

12. उक्त अभियोजन वृतांत को साबित करने का पूर्ण भार अभियोजन पक्ष पर है। इस संबंध में, प्रकरण में अभियोजन द्वारा कुल 07 गवाहान को न्यायालय समक्ष पेश कर परीक्षित कराया गया है। हस्तगत प्रकरण में, जहां तक प्रश्न, अभियोजन वृतांत में वर्णित, घटना एवं घटनास्थल का है, इस संबंध में, प्रकरण में अभियोजन द्वारा आहता सुबराती बानो को गवाह पी0ड0 02 के रूप में न्यायालय समक्ष पेश कर परीक्षित कराया गया है, जिसने अभियोजन वृतांत का समर्थन करते हुये, न्यायालय समक्ष अपने बयानों में कथन किया है कि वह भाया की बाड़ी, अंता की रहने वाली है। वह झाडू बनाने का कार्य करती है। इस बात को चार पॉच साल हो गये। वह अपने घर पर ही थी। उसका लड़का अब्दुल सलीम काम पर गया हुआ था। रूबीना के बच्चे खेल रहे थे। यह बात दिन के दो बजे की थी। रूबीना के बच्चों के लिये, उसके और रूबीना के बीच में कहा सुनी हो गयी थी। सायं को अब्दुल सलीम घर पर आया था, उसने, उसको सारी बात बतायी थी। फिर उसका लड़का अब्दुल सलीम, शकील को समझाने, उसके घर पर गया और उसने कहा कि अपने बच्चों को समझा, बच्चों की बात के लिये लड़ाई झगड़ा करना सही नहीं है। यह समझा करके अब्दुल सलीम, अपने घर पर आ गया था। वह अपने घर के बाहर चबूतरी पर बैठी थी। सायं 08:30 बजे की बात है। **फिर शकील, शाहिद, रूबीना आये और उस पर पत्थर मारने लग गये। फिर शकील, शाहिद, रूबीना ने उसे घसीटा। उसके अलावा रोजी बानो एवं रूकसार बानो के सिर पर चोटें आयी थी। उसके बायें हाथ, सिर एवं घुटनों पर चोटें आयी थी। फिर युसुफ भाई ने उनका बीच बचाव किया था।** उसका, रोजी एवं रूकसार का ईलाज अंता अस्पताल में करवाया था। पुलिस ने उनके घर के सामने ही नक्शा मौका बनाया था। गवाह द्वारा प्रकरण में घटनास्थल के संबंध में तैयार, फर्द घ टनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी. 03 की ताईद की गयी है।

दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि शकील और रूबीना के बीच बोलचाल नहीं है। सलीम, शकील और रूबीना को समझाकर, घर के अंदर आ गया था। उसके बाद में पथराव शुरू हुआ था। उस समय वह अकेली चबूतरी पर बैठी हुयी थी। अभियुक्तगण ने उस पर पत्थर मारे थे। उसकी चीख, पुकार सुनकर वहॉ रूकसार और रोजी आयी थी। उसके साथ धक्का मुक्की भी हुयी थी, परंतु उसकी चोट ईंटों से आयी थी। अभियुक्तगण ने पत्थर अपने घर से फेंके थे। युसुफ भाई वहॉ पर पहुॅचें थे और उसे अस्पताल लेकर पहुॅचें थे। घ टना की रिपोर्ट दर्ज कराने वह पुलिस थाने पर अपने बेटे के साथ गयी थी। युसुफ, उनका पड़ोसी है। दौराने जिरह गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसके एवं उसके परिवार वालों के खिलाफ भी शकील और रूबीना ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। दौराने जिरह गवाह ने इस तथ्य का खंडन किया है कि उसके सिर पर ऑख के उपर, गिरने से चोट आयी थी, बल्कि पत्थर मारने से ही आयी थी।

13. इसी कम में, प्रकरण में अभियोजन द्वारा अन्य आहता रूकसार बानो को, गवाह पी0ड0 03 के रूप में न्यायालय समक्ष पेश कर परीक्षित कराया गया है, जिसने अभियोजन वृतांत का समर्थन करते हुये, न्यायालय समक्ष अपने बयानों में

कथन किया है कि वह अंता की रहने वाली है। यह बात दिनांक 13.02.2018 की थी। यह बात दिन के दो बजे हुई थी। रुबीना एवं सुबराती के बीच में बच्चों को लेकर लड़ाई हुई थी। शाम को उसके चाचा अब्दुल सलीम घर पर आये और उन्होनें शकील मोहम्मद को समझाया कि बच्चों के मामले में लड़ाई झगड़ा ना कर, उसके बाद समझाकर, उसके चाचा के घर पर गये तो उनके द्वार के बाहर उसकी दादी सुबराती चबूतरे पर बैठी हुई थी और वह भी वहीं पर थी तो **शकील मोहम्मद, रूबीना बानो, साजिद हुसैन, इन तीनों ने उसकी दादी सुबराती बानो के सिर पर ईंट एवं पत्थर से मारी, जिससे उसकी दादी के सिर से खून बहने लगा था और हाथ पर चोट आयी थी। उसके भी सिर एवं हाथ पर चोट आयी थी। रोजी बानो के कमर पर चोट आयी थी।** रोजी बानो कहीं पर बैठी हुई थी। उसके बाद उसकी दादी और उसका, अंता अस्पताल में ईलाज चला था। उसके चाचा अब्दुल सलीम ने घटना की रिपोर्ट करवायी थी। मौका मुआयना, उनके घर के सामने ही किया था। उक्त तीनों मुलजिमान ने, उसकी दादी को ईंट एवं पत्थर से मारा था, उसके बाद, उसको घसीटकर, फिर वापिस मारा था। गवाह द्वारा, प्रकरण में घटनास्थल के संबंध में तैयार, फर्द घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी. 03 की ताईद की गयी है।

दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि रूबीना बानो ने उसकी दादी पर ईंट, पत्थर फेंके थे, जिससे उसके सिर पर चोट आयी थी और खून निकला था। झगड़ा उनके मकान के सामने हुआ था। झगड़ा लगभग आधा घंटे चला था। लड़ाई के वक्त, वहॉ पर मौहल्ले के कई लोग इकट्ठे हो गये थे, लेकिन युसुफ भाई के अलावा किसी ने बीच बचाव नहीं किया था। शकील मोहम्मद ने उसके ईंट एवं पत्थर से उस पर वार किया था, जिससे उसके हाथ पर चोट आयी थी। उसकी बहिन रोजी बानो की कमर पर चोट आयी थी। उसके चाचा शफीक, उसे और उसकी दादी को अस्पताल लेकर गये थे।

14. इसी क्रम में, प्रकरण में अभियोजन द्वारा, परीक्षित घटना के चक्षुदर्शी गवाह पी0ड0 07 रोजी बानो ने न्यायालय समक्ष अपने बयानों में कथन किया है कि वह अंता की रहने वाली है। यह बात दिनांक 13.02.2018 की थी। यह बात दिन के दो बजे की थी। उनके घर के बच्चे उनके घर के बाहर खेल रहे थे, तभी रूबीना बानो, बच्चो को मारने के लिये आयी और फिर उसकी दादी ने रूबीना बानो को समझाया कि बच्चो को मत मारो, लेकिन रूबीना बानो नहीं मानी और उसकी दादी से गाली गालौच करने लग गयी थी तो उसकी दादी ने उसके चाचा, जो शाम को घर पर आठ बजे आये थे, उनको सारी बात बतायी थी। **उसके चाचा मोहम्मद अब्दुल सलीम ने, रूबीना बानो के पति शकील मोहम्मद को पूरी बात बतायी थी तो शकील मोहम्मद ने अपनी पत्नी रूबीना बानो को नहीं समझाया और शकील मोहम्मद, रूबीना बानो और शाहिद, उसकी दादी को ईंट, पत्थर से मारने लगे।** यह बात शाम को साढ़े आठ बजे की थी। उसकी दादी का नाम सुबराती बानो था। शकील मोहम्मद ने उसकी दादी के ईंट से मारी, जिससे उसकी दादी के सिर पर खून निकलने लग गया था और उसकी दादी के हाथ, पैर पर भी चोट आयी थी। उसकी बड़ी बहिन रूकसार बानो के पीठ पर एवं हाथ पर चोट आयी थी और उसके कमर पर चोट आयी थी। **उसे पहले शकील मोहम्मद ने पत्थर से मारा था, फिर शाहिद ने ईंट से मारा था और रूबीना ने भी उसे ईंट से मारा था। उसकी दादी जब उठकर, जाने लगी तो इन लोगों ने उसको घेर लिया था। यह घटना युसुफ भाई ने भी देखी थी। जब**

**उक्त घटना हुई थी, उस समय वह घर पर थी।** उसका ईलाज अंता अस्पताल में चला था।

दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि जब मौके पर युसुफ भाई बीच बचाव करने आया था तो उसने, युसफ भाई को देखा था। पत्थरबाजी की घटना कितने समय तक चलती रही, उसे याद नहीं है। लड़ाई झगड़े के वक्त, वह अपनी दादी के साथ मौजूद थी। लड़ाई झगड़े के समय, उसके चाचा वहॉ पर मौजूद थे। कितने पत्थर एवं ईंट फेंके गये थे, उसे नहीं पता।

15. इसी क्रम में, प्रकरण में अभियोजन द्वारा परिवादी अब्दुल सलीम को गवाह पी.ड. 01 के रूप में न्यायालय समक्ष पेश कर परीक्षित कराया गया है, जिसने अभियोजन वृतांत का समर्थन करते हुये, न्यायालय समक्ष कथन किया है कि यह बात दिनांक 13.02.2018 की बात है। वह पहले दुकान पर था, फिर वह शाम को आया तो उसकी मां ने उससे कहा कि सुबराती बानो और रूबीना बानो के बीच कहासुनी हो गई थी। रूबीना, शकील भाई की पत्नी है। वह दुकान से आठ बजे घर पर आया था। फिर उसने शकील से कहा कि बच्चे के मामले में, तेरी घरवाली को समझाना कि लड़ाई झगड़ा ना करें तो फिर करीब साढ़े आठ बजे शकील, रूबीना और शाहिद ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। **रूकसार, सुबराती, रोजी के उपर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया था। जब घटना हुयी, तब वह घर पर ही था। उसकी मां के ललाट पर, सिर पर, पैर पर, बायें हाथ पर चोट आई थी, रोजी के कमर पर चोट आयी थी। रूकसार बानो के सिर पर और हाथ पर चोट आई थी।** जब उसकी मां उठकर चलने लगी तो इन तीनों लोगों ने उसको घेर लिया था, जब मारपीट हुयी थी, तब युसुफ भाई मौजूद थे। यह घटना सुबराती बानो, रूकसार बानो और रोजी बानो के साथ हुई थी। रिपोर्ट उसी दिन करवाई थी। साढ़े ग्यारह बजे रात को करवायी थी। उसका ईलाज, सरकारी अस्पताल, अंता में चला था। गवाह द्वारा प्रकरण में दर्ज तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 1, चाक एफआईआर प्रदर्श पी. 2, प्रकरण में घटनास्थल के संबंध में तैयार, फर्द घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी. 03 की ताईद की गयी है।

दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि जिस समय सुबराती बानो और रूबीना बानो के बीच झगड़ा हुआ था, तब वह अपनी दुकान पर था, उसे सारी बात सुबराती बानो ने बतायी थी, परंतु उक्त गवाह ने आगे कथन किया है कि जिस समय पत्थरबाजी हो रही थी, उस समय वह अपने घर के बाहर गेट पर था। पत्थर सभी प्रकार के थे, बड़े, छोटे तथा ईंटें भी थी। जिस समय लड़ाई झगड़ा हुआ था, उस समय रूकसार बानो और रोजी बानो और सुबराती बानो, तीनों चबूतरी के बाहर बैठी हुयी थी।

16. प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित अन्य चक्षुदर्शी गवाह पी.ड. 06 युसुफ भाई ने न्यायालय समक्ष कथन किया है कि वह भाया की बाड़ी, अंता का रहने वाला है। यह घटना करीब छः साल पहले की है। रात के साढ़े आठ बजे के लगभग की बात है। उस समय वह, मार्केट से घर आया था तो उसने चिल्लाचोट की आवाज सुनी, वह गली के अंदर जाने लगा तो उसने, पत्थर फेंकने की बात सुनकर, वह वापिस आकर, पी.टी.आई. साहब की दुकान के पास आकर खड़ा हो गया, फिर कुछ समय बाद सुबराती भाभी आई और उसने, उसे बताया कि उसके चोट लगी है और कहने लगी कि उसे पुलिस स्टेशन लेकर चलो, पुलिस स्टेशन पहुॅचने के बाद, पुलिस वाले सुबराती भाभी को अस्पताल लेकर गये थे, जहॉ उनका ईलाज हुआ था। इतना कहने पर, उक्त गवाह को

अभियोजन द्वारा न्यायालय समक्ष पक्षद्रोही घोषित किया गया है, जहॉ कि उक्त गवाह ने, दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी, पुलिस बयान प्रदर्श पी. 6 का खंडन किया है। उक्त गवाह ने, उसके सामने कोई घटना नहीं होने का कथन किया है। उक्त गवाह ने आगे कथन किया है कि वह तो सुबराती को पहले थाने पर, फिर अस्पताल लेकर गया था। शकील, रूबीना, साजिद एवं सुबराती, सलीम के मध्य किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था, उसे पता नहीं है। पत्थरबाजी की जानकारी उसे, उसी दिन हो गयी थी, लेकिन पत्थर किसने मारा था, उसे पता नहीं है।

दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त, गवाह ने कथन किया है कि वह, साजिद एवं रूबीना को नहीं जानता है। उसके सामने कोई घटना नहीं हुयी थी।

17. हस्तगत प्रकरण में, जहॉ तक प्रश्न, आहता सुबराती बानो के शरीर पर आयी चोटें एवं उनकी प्रकृति का है, इस संबंध में, प्रकरण में अभियोजन द्वारा गवाह डॉ. हरीश मीणा को पी0ड0 5 के रूप में न्यायालय समक्ष परीक्षित कराया गया है, जो कि दिनांक 13.02.2018 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अंता में चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत था। गवाह द्वारा, प्रकरण में आहता के शरीर पर कारित चोटों के संबंध में तैयार किये गये, चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी0 04 की ताईद की गयी है तथा गवाह द्वारा उक्त चोट की प्रकृति के संबंध में निम्न निष्कर्ष दिया गया है –

'चोट नंबर 01 – कटा हुआ घाव आकार 3 गुना 1/2 गुना 1/2 से.मी., सिर के अग्र भाग पर, बायीं ऑख के उपर आयी हुई थी, जो धारदार हथियार से कारित था। चोट नंबर 02 – खरोंच 1 गुना 1 से.मी. बायीं कोहनी पर, चोट नंबर 03 – खरोंच 2 गुना 1 से.मी. बायें घुटने पर आयी हुई थी। चोट नंबर 02 एवं 03 कुंद हथियार से कारित होना पायी गयी थी।'

इसी प्रकार, आहता रूकसार बानो के शरीर पर आयी चोटें एवं उनकी प्रकृति का है, इस संबंध में, प्रकरण में अभियोजन द्वारा गवाह डॉ. हरीश मीणा को पी0ड0 5 के रूप में न्यायालय समक्ष परीक्षित कराया गया है, जो कि दिनांक 13.02.2018 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अंता में चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत था। गवाह द्वारा, आहता के शरीर पर कारित चोटों के संबंध में तैयार किये गये, चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी0 05 की ताईद की गयी है तथा गवाह द्वारा उक्त चोट की प्रकृति के संबंध में निम्न निष्कर्ष दिया गया है –

'चोट नंबर 01 – खरोंच आकार 3 गुना 1 से.मी. बायीं भुजा पर, साधारण प्रकृति की एवं कुंद हथियार से कारित होना पायी गयी थी।'

दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि सुबराती बानो के शरीर पर कारित चोट संख्या 1, धारदार नुकीली चीज या पत्थर के किनारे से आना संभव है तथा शेष सभी चोट कठोर धरातल पर गिरने पड़ने से आना संभव है। दौराने जिरह गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि **सुबराती बानो के ईंट से, चोट नंबर 1 कारित होना संभव नहीं है।**

18. प्रकरण में अभियोजन द्वारा, प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी मुरलीधर को गवाह पी.ड. 04 के रूप में न्यायालय समक्ष परीक्षित कराया गया है, जो कि दिनांक 13.02.2018 को पुलिस थाना अंता में एस.आई. इंचार्ज पुलिस थाना अंता के पद पर कार्यरत था, जहां कि गवाह ने, उसके द्वारा किये गये संपूर्ण अनुसंधान की ताईद करते हुये, अनुसंधान संबंधी समस्त औपचारिकताएॅ पूरी

किये जाने का, जैसे गवाहान के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध करने का, आहतगण की एम.एल.सी. रिपोर्ट तैयार किये जाने का एवं घटनास्थल का नक्शा मौका मुर्तिब कर, शामिल पत्रावली किये जाने का कथन किया है। गवाह द्वारा, प्रकरण में घटनास्थल के संबंध में तैयार, फर्द घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी. 03 की ताईद की गयी है। गवाह द्वारा, बाद अनुसंधान, अभियुक्तगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा 341, 323, 324, 336 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता पूर्णतया प्रमाणित पाया गया।

दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि वह घटना के दूसरे दिन, घ टनास्थल पर पहुॅच गया था। घटनास्थल पर, तब छोटे छोटे पत्थर पड़े हुये थे, जिनका साईज दो या तीन इंच होगा।

19. उपरोक्त वर्णित गवाहान के बयानों के प्रकाश में, हस्तगत प्रकरण में अभियोजन द्वारा, न्यायालय से यह निवेदन किया जा रहा है कि प्रकरण में, आहतगण एवं अन्य हितबद्ध महत्वपूर्ण चक्षुदर्शी गवाहान द्वारा, न्यायालय समक्ष संपूर्ण घटना की पूर्णतया ताईद की गयी है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा 341, 323, 324, 336 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध पूर्णतया प्रमाणित है। वहीं अभियुक्त पक्ष द्वारा, घटना का खंडन करते हुये, न्यायालय से यह निवेदन किया जा रहा है कि प्रकरण में अभियुक्तगण को झूठा फॅसाया गया है। हस्तगत प्रकरण में, अभियुक्तगण द्वारा, परिवादी पक्ष के विरूद्ध मारपीट का प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसके पश्चात् उक्त प्रकरण, उन पर मात्र दवाब कारित करने के उद्देश्य से, दर्ज किया गया है।

20. न्यायालय के विनम्र मत में, यदि हस्तगत पत्रावली का अवलोकन करें तो आहता गवाह पी0ड0 02 सुबराती बानो ने, अभियुक्तगण के विरूद्ध व्यक्तिशः आक्षेप लगाते हुये न्यायालय समक्ष यह स्पष्ट कथन किया है कि **'शाम साढ़े आठ बजे, जब वह अपने घर के बाहर चबूतरे पर बैठी हुयी थी, तब वहॉ शकील, शाहिद और रूबीना आये और उस पर पथराव करने लगे तथा उन्होनें उसे घसीटा। इन सबमें उसके हाथ, सिर एवं घुटनों पर चोट आयी थी। उसके अलावा रोजी बानों एवं रूकसार बानो के सिर पर भी चोट आयी थी। उसका बीच बचाव युसुफ भाई ने करवाया था।'**

21. इसी प्रकार, प्रकरण की अन्य आहता गवाह पी.ड. 03 रूकसार बानो ने भी, अभियुक्तगण के विरूद्ध व्यक्तिशः आक्षेप लगाते हुये न्यायालय समक्ष कथन किया है कि **'अभियुक्तगण शकील मोहम्मद, रूबीना बानो एवं मोहम्मद शाहिद ने, उसकी दादी सुबराती बानो के सिर पर, ईंट एवं पत्थर से मारा था, जिससे उसकी दादी के सिर से खून बहने लगा था और हाथ पर भी चोट आयी थी। उसके भी सिर एवं हाथ पर चोट आयी थी।'**

22. न्यायालय के विनम्र मत में, किसी भी दांडिक प्रकरण में मजरूब गवाह की साक्ष्य का विशेष दर्जा होता है। यह कि जब तक मजरूब के कथनों में कोई गंभीर विरोधाभास ना हो, न्यायालय द्वारा उन पर अवलंब लिया जा सकता है। इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत **Abdul Sayeed Versus State of M.P. reported in 2010 AIR SCW 5701** सुसंगत है, जहां कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी प्रकरण में, मजरूब द्वारा दिये गये बयानों के संबंध में निम्न मार्गदर्शन दिया गया है —

**That "the law on the point can be summarised to the effect that the testimony of the injured witness is accorded a special status in law. This is as a consequence of the fact that the injury to the witness is an in-built guarantee of his presence at the scene of the crime and because the witness will not want to let his actual assailant go unpunished merely to falsely implicate a third party for the commission of the offence. Thus, the deposition of the injured witness should be relied upon unless there are strong grounds for rejection of his evidence on the basis of major contradictions and discrepancies therein".**

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के प्रकाश में, यदि हस्तगत पत्रावली का अवलोकन करें तो प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित आहतगण गवाहान पी0ड0 02 सुबराती बानो एवं पी0ड0 03 रूकसार बानो द्वारा अपने बयानों में, अभियुक्तगण शकील मोहम्मद, रूबीना बानो एवं मोहम्मद शाहिद के विरूद्ध, उनके साथ पथराव कर, मारपीट किये जाने के व्यक्तिशः आक्षेप लगाये गये है। उक्त आहतगण, अपने बयानों में भी तटस्थ रहे है। उक्त गवाहान के बयानों को, प्रकरण में अभियोजन द्वारा पेश, आहतगण के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 04 एवं प्रदर्श पी. 05 से भी बल प्राप्त होता है।

23. हस्तगत प्रकरण में, घटना के संबंध में, अभियोजन द्वारा चक्षुदर्शी गवाह पी.ड. 07 रोजी बानो को भी न्यायालय समक्ष परीक्षित कराया गया है, जहां कि उक्त गवाह ने **'अभियुक्तगण द्वारा, आहतगण के साथ ईंट एवं पत्थर से मारपीट किये जाने की पुष्टि की है तथा यह कथन किया है कि उक्त पथराव से उसकी दादी के सिर पर, खून निकलने लग गया था।'**

24. प्रकरण में अभियोजन द्वारा, प्रकरण के अन्य चक्षुदर्शी परिवादी गवाह पी.ड. 01 अब्दुल सलीम को न्यायालय समक्ष परीक्षित कराया गया है, जिसके द्वारा भी, अभियुक्तगण एवं आहत पक्ष के मध्य लड़ाई झगड़े के तथ्य की ताईद करते हुये, न्यायालय समक्ष, यह स्पष्ट कथन किया गया है कि **'रात्रि आठ बजे, अभियुक्तगण ने आहत पक्ष के उपर, पत्थर फेंकना शुरू कर दिया था', परंतु दौराने जिरह गवाह ने यह स्वीकार किया है कि 'बरवक्त घटना, वह अपनी दुकान पर था तथा उसे, घटना की जानकारी, सुबराती बानो ने ही दी थी।'**

25. यदि प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित गवाह पी.ड. 02 सुबराती बानो, जो कि प्रकरण में मुख्य आहता है, के बयानों का अवलोकन करें तो उक्त गवाह ने भी, बरवक्त घटना, परिवादी अब्दुल सलीम की घटनास्थल पर उपस्थिति बाबत् कोई कथन न्यायालय समक्ष नहीं किया है।

26. साथ ही प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित आहतगण गवाहान पी.ड. 02 सुबराती बानो एवं पी.ड. 03 रूकसार बानो के बयानों से यह जाहिर होता है कि **'घटना के समय, बीच बचाव सिर्फ युसुफ भाई द्वारा ही किया गया था।' अतः ऐसे में, परिवादी गवाह पी.ड. 01 अब्दुल सलीम की बरवक्त घटना, घटनास्थल पर उपस्थिति संदिग्ध प्रतीत होती है।** परंतु न्यायालय के विनम्र मत में, मात्र इस आधार पर कि, बरवक्त घटना, स्वयं परिवादी गवाह पी.ड. 01 अब्दुल सलीम, बरवक्त घटना, घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था, आहतपक्ष के

बयानों का खंडन नहीं किया जा सकता है। विशेषतया तब, जबकि प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित स्वतंत्र चक्षुदर्शी गवाह पी.ड. 06 युसुफ भाई ने न्यायालय समक्ष यह स्वीकार किया है कि **'उसे पत्थरबाजी की जानकारी थी।'** गवाह ने न्यायालय समक्ष यह स्पष्ट कथन किया है कि **'जब वह रात्रि साढ़े आठ बजे के लगभग अपने घर पर आ रहा था, तब उसने गली के अंदर से चिल्लाचोट की आवाज सुनी थी तथा पत्थर फेंकने की भी बात सुनी थी।'**

27. यह सही है कि गवाह पी.ड. 06 युसुफ भाई, प्रकरण में अभियोजन द्वारा, न्यायालय समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुआ है, परंतु उक्त गवाह के समग्र बयानों के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि **'उसे, घटना वाले दिन पत्थरबाजी की जानकारी थी।'**

28. इस प्रकार, प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित समस्त महत्वपूर्ण गवाहान के बयानों में कोई भी तात्विक विरोधाभास प्रतीत नहीं होता है। यह कि अभियुक्तगण पक्ष एवं परिवादी पक्ष पूर्व से ही एक दूसरे को जानते है। ऐसे में, अभियुक्तगण पक्ष की पहचान संदिग्ध प्रतीत नहीं होती है। अभियुक्तगण द्वारा, अंतर्गत धारा 313 दंड प्रकिया संहिता में भी, अपने बचाव में, अभियोजन द्वारा पेश साक्ष्य एवं स्वयं की उपस्थिति का भी, किसी प्रकार से कोई विनिर्दिष्ट खंडन नहीं किया गया है। अतः अभियुक्तगण पक्ष, घटनास्थल पर अपनी उपस्थिति का खंडन करने में असफल रहा है। अतः इन परिस्थितियों में, पत्रावली के समग्र अध्ययन से यह निष्कर्ष लिया जा सकता है कि हस्तगत प्रकरण में, अभियोजन, अभियुक्तगण द्वारा, आहत पक्ष के साथ हुयी पत्थरबाजी की घटना को एवं उक्त पथराव में, आहतगण गवाहान पी.ड. 02 सुबराती बानो एवं पी.ड. 03 रूकसार बानो के शरीर पर आयी चोटें एवं उनकी प्रकृति को प्रमाणित करने में, पूर्णतया सफल रहा है, जबकि अभियुक्त पक्ष, बरवक्त घटना, घटनास्थल पर अपनी उपस्थिति एवं अपनी पहचान का खंडन करने में असफल रहा है। इस प्रकार, हस्तगत प्रकरण में, अभियोजन, घटनास्थल पर अभियुक्त पक्ष की उपस्थिति एवं अभियुक्तगण द्वारा, आहत पक्ष पर, पथराव कर, सदोष अवरोध एवं उक्त पथराव में, आहतगण गवाहान पी.ड. 02 सुबराती बानो एवं पी.ड. 03 रूकसार बानो के शरीर पर, साधारण उपहति कारित करने के तथ्य को प्रमाणित करने में पूर्णतया सफल रहा है। अतः ऐसे में, अभियुक्तगण शकील मोहम्मद, रूबीना बानो एवं मोहम्मद शाहिद को अंतर्गत धारा 341, 323 सपठित धारा 34, 336 सपठित धारा 34 भारतीय दंड सहिता के अपराध में दोषी माना जाता है।

**(सिद्धांत शर्मा)**
**न्यायिक मजिस्ट्रेट**
**अंता, जिला बारां (राज0)**

29. हस्तगत प्रकरण में, जहाँ तक प्रश्न, अपराध अंतर्गत धारा 324 भारतीय दंड संहिता, जो कि खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करने के संबंध में है, का है, उक्त अपराध को साबित करने के लिये, अभियोजन को यह सिद्ध करना अनिवार्य होता है कि **'अभियुक्त पक्ष द्वारा, आहत पक्ष के शरीर पर स्वेच्छया उपहति कारित की गयी हो एवं उक्त उपहति, किसी ऐसे उपकरण या आकामक आयुध को उपयोग में ली जाकर, कारित की गयी हो, जिससे कि मृत्यु कारित होना संभाव्य हो।'**

30. हस्तगत प्रकरण में, स्वीकृत रूप से, अभियोजन द्वारा, अभियुक्त पक्ष द्वारा घटना में उपयोग में लिये गये ईंट एवं पत्थर को न्यायालय समक्ष पेश नहीं

किया गया है। ऐसे में, अभियुक्तगण द्वारा, आहत पक्ष के साथ हुये लड़ाई झगड़े में किसी खतरनाक आयुध/उपकरण को उपयोग में लिया गया था, इस तथ्य की गणना पत्रावली में पेश साक्ष्य से ही की जानी है। इस संबंध में, सर्वप्रथम, यदि प्रकरण में अभियोजन द्वारा पेश चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 04 एवं प्रदर्श पी. 05 का अवलोकन करें तो **'आहता सुबराती बानो के सिर पर नुकीले धारदार हथियार को उपयोग में लिया जाकर, साधारण उपहति कारित होने का तथ्य अंकित है।'** प्रकरण में अन्य आहता रूकसार बानो के शरीर पर, किसी भी धारदार हथियार से कोई उपहति कारित नहीं की गयी है।

31. प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित आहता गवाह पी.ड. 02 सुबराती बानो के बयानों का अवलोकन करें तो उक्त गवाह ने न्यायालय समक्ष यह कथन किया है कि **'अभियुक्तगण शकील मोहम्मद, रूबीना बानो एवं मोहम्मद शाहिद ने उस पर पत्थर से वार किया था। गवाह द्वारा पत्थर की माप बाबत् कोई कथन नहीं किये गये है।'** प्रकरण में घटनास्थल पर मौजूद अन्य गवाहान पी.ड. 03 रूकसार बानो एवं पी.ड. 07 रोजी बानो द्वारा, न्यायालय समक्ष यह कथन किया गया है कि **'अभियुक्तगण शकील मोहम्मद, रूबीना बानो एवं मोहम्मद शाहिद द्वारा, आहत पक्ष पर, ईंट एवं पत्थर से वार किया गया था। परिवादी गवाह पी.ड. 01 अब्दुल सलीम ने भी, अभियुक्तगण द्वारा घटना में ईंट एवं छोटे, बड़े पत्थर उपयोग में लिये जाने बाबत् कथन किये है।'**

जैसा कि उपरोक्त वर्णित है कि बरवक्त घटना, घटनास्थल पर, परिवादी गवाह पी.ड. 01 अब्दुल सलीम की उपस्थिति संदेहास्पद है।

32. प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित, प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी गवाह पी.ड. 04 मुरलीधर के बयानों का अवलोकन करें तो उक्त गवाह ने कथन किया है कि 'जब वह घटना के अगले दिन मौके पर पहुॅचा था, तब वहॉ पर छोटे छोटे पत्थर पड़े हुये थे, जिनका साईज दो या तीन इंच होगा।'

33. इसी क्रम में, यदि प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित गवाह पी.ड. 05 डॉ. हरीश मीणा के बयानों का अवलोकन करें तो उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में, आहता सुबराती बानो के शरीर पर अंकित चोट, किसी धारदार एवं नुकीली चीज या पत्थर के किनारे के आने की संभावना को तो व्यक्त किया है, परंतु उक्त गवाह ने यह स्पष्ट कथन किया है कि **'आहता के शरीर पर ईंट से कोई चोट कारित नहीं की गयी है।'** अतः इन परिस्थितियों में, अभियुक्तगण शकील मोहम्मद, रूबीना बानो एवं मोहम्मद शाहिद द्वारा, आहता सुबराती बानो के शरीर पर साधारण उपहति, खतरनाक आयुध या साधनों को उपयोग में ली जाकर, कारित की गयी हो, यह संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः ऐसे में, अभियुक्तगण शकील मोहम्मद, रूबीना बानो एवं मोहम्मद शाहिद को अंतर्गत धारा 324 सपठित धारा 34 भारतीय दंड सहिता के अपराध में दोषी नहीं माना जा सकता है। **परिणामतः अभियुक्तगण 1. शकील मोहम्मद पुत्र अल्लानुर, आयु 46 वर्ष, निवासी मौजा भाया की बाड़ी, अंता, तहसील अंता, पुलिस थाना अंता, जिला बारां राज., 2. रूबीना बानो पत्नी शकील मोहम्मद, आयु 43 वर्ष, निवासी मौजा भाया की बाड़ी, अंता, तहसील अंता, पुलिस थाना अंता, जिला बारां राज. तथा 3. मोहम्मद शाहिद पुत्र सिराज मोहम्मद, आयु 27 वर्ष, निवासी मौजा दुगारी रोड, अंता, तहसील अंता, पुलिस थाना अंता, जिला बारां राज. को अंतर्गत**

**धारा 324 सपठित धारा 34 भारतीय दंड सहिता के अपराध में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।**

**(सिद्धांत शर्मा)**
**न्यायिक मजिस्ट्रेट**
**अंता, जिला बारां (राज0)**

34. जबकि, उपरोक्त विवेचनानुसार एवं उपरोक्त गवाहान के समग्र अध्ययन, अवलोकन तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा 341, 323 सपठित धारा 34, 336 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतया सफल रहा है। अतः ऐसे में, अभियुक्तगण शकील मोहम्मद, रूबीना बानो तथा मोहम्मद शाहिद को, अपराध अंतर्गत धारा 341, 323 सपठित धारा 34, 336 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दोषी घोषित किया जाता है।

**(सिद्धांत शर्मा)**
**न्यायिक मजिस्ट्रेट**
**अंता, जिला बारां (राज0)**

**दण्ड के प्रश्न पर :—**

35. दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्तगण के अधिवक्ता का इस आशय का निवेदन रहा है कि उनका प्रथम अपराध है। अभियुक्तगण पिछले आठ वर्षो से अन्वीक्षा भुगत रहे है। अभियुक्तगण के विरूद्ध ना तो कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है और ना ही इससे पूर्व किसी प्रकरण में अभियुक्तगण ने परीवीक्षा अधिनियम का लाभ लिया है। अतः उनको परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जावें। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक रिकॉर्ड पत्रावली पर संलग्न नहीं है। अतः अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जावें। जबकि दौराने बहस अभियोजन अधिकारी ने, अभियुक्तगण को उचित दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया।

36. उभय पक्ष को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा 341, 323 सपठित धारा 34, 336 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का आरोप है। अभियुक्तगण का आपराधिक रिकॉर्ड पत्रावली पर संलग्न नहीं है। अभियुक्तगण पिछले आठ वर्षो से अन्वीक्षा भुगत रहे है। प्रकरण में अभियोजन द्वारा पेश आहता के शरीर पर आयी चोटों के संबंध में तैयार चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 4 का अवलोकन करें तो 'आहता सुबराती बानो के सिर पर नुकीले धारदार हथियार को उपयोग में लिया जाकर, साधारण उपहति कारित होने का तथ्य अंकित है तथा आहता रूकसार बानो के भी कुंद हथियार से, बायें हाथ की अग्रभुजा पर साधारण उपहति कारित होने का तथ्य अंकित है।' अतः ऐसी दशा में, प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये, आहतगण के शरीर पर आयी चोटें एवं उनकी प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये तथा प्रकरण की अन्वीक्षा अवधि को ध्यान में रखते हुये, अभियुक्तगण को कारावास से दंडित ना करते हुये, अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान नहीं किया जाकर, अभियुक्तगण को अर्थदंड से दंडित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

**(सिद्धांत शर्मा)**
**न्यायिक मजिस्ट्रेट**
**अंता, जिला बारां (राज0)**

**—:: दंडादेश ::—**

37. अतः अभियुक्तगण 1. शकील मोहम्मद पुत्र अल्लानुर, आयु 46 वर्ष, निवासी मौजा भाया की बाड़ी, अंता, तहसील अंता, पुलिस थाना अंता, जिला बारां राज., 2. रूबीना बानो पत्नी शकील मोहम्मद, आयु 43 वर्ष, निवासी मौजा भाया की बाड़ी, अंता, तहसील अंता, पुलिस थाना अंता, जिला बारां राज. तथा 3. मोहम्मद शाहिद पुत्र सिराज मोहम्मद, आयु 27 वर्ष, निवासी मौजा दुगारी रोड, अंता, तहसील अंता, पुलिस थाना अंता, जिला बारां राज. को उनके विरूद्ध सिद्धदोष अपराध अंतर्गत धारा 341, 323 सपठित धारा 34, 336 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में, निम्नानुसार अर्थदंड से दंडित किया जाता है —

1. प्रत्येक अभियुक्त को अंतर्गत धारा 336 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत 500—500/—रूपये (अक्षरेः पॉच सौ—पॉच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड प्रत्येक अभियुक्त, सात—सात दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा।

2. प्रत्येक अभियुक्त को अंतर्गत धारा 323 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत 250—250/—रूपये (अक्षरेः दो सौ पचास—दो सौ पचास रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड प्रत्येक अभियुक्त, सात—सात दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा।

3. प्रत्येक अभियुक्त को अंतर्गत धारा 341 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत 250—250/—रूपये (अक्षरेः दो सौ पचास—दो सौ पचास रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड प्रत्येक अभियुक्त, सात—सात दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा। इस प्रकार, अभियुक्तगण के विरूद्ध कुल तीन हजार रूपये की अर्थदंड की राशि अधिरोपित की जाती है।

38. संपूर्ण जुर्माना राशि 3,000/—रूपये (अक्षरेः राशि तीन हजार रूपये) न्यायालय के राजकोष में जमा कराई जावें।

39. हस्तगत प्रकरण में, अभियोजन व्यय की राशि तीन हजार रूपये में से, एक—एक हजार रूपये, आहतगण सुबराती बानो एवं रूकसार बानो द्वारा न्यायालय समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर, नियमानुसार, आहतगण को क्षतिपूर्ति/प्रतिकर के रूप में अदा किये जावें।

40. अभियुक्तगण के अन्वीक्षाकालीन जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है। प्रत्येक अभियुक्त को यह भी आदेश दिया जाता है कि वह अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु धारा—437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दस—दस हजार रूपये के जमानत मुचलके न्यायालय समक्ष पेश कर तस्दीक करावें, जो कि बाद कराने तस्दीक छः माह तक प्रवर्तन में रहेंगे।

**(सिद्धांत शर्मा)**
**न्यायिक मजिस्ट्रेट**
**अंता, जिला बारां (राज0)**

41. निर्णय आज दिनांक 09.04.2026 को मुझ अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर, हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर, न्यायालय मुद्रा से मुद्रांकित करवाया गया।

बउनवान सरकार बनाम शकील मोहम्मद वगैरह
नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या 87/2018
निर्णय दिनांक 09.04.2026
(सिद्धांत शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंता, जिला बारां (राज0)